न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

राधेश्याम आदि बनाम तहसीलदार, धोद

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 एल.आर.एक्ट मु.नं. 376 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
17/9/25	प्रार्थीगण राधेश्याम, नन्दलाल पुत्रगण महादेव राम समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ग्राम टाटनवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम टाटनवा पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 112 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां राधेश्याम पुत्र माधु जाति जांगिड़ ब्राह्मण, नन्दलाल पुत्र माधु जाति जांगिड़ ब्राह्मण दर्ज है, जो कि अशुद्ध है तथा ग्राम टाटनवा पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 113 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां राधेश्याम पुत्र माधु जाति खाती, नन्दलाल पुत्र महादेव जाति जांगिड़ दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण के पिता के नाम की सही प्रविष्टि महादेव राम तथा जाति जांगिड़ है। प्रार्थीगण के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थीगण के नाम की उक्त प्रविष्टियां क्रमशः राधेश्याम पुत्र महादेव राम जाति जांगिड़, नन्दलाल पुत्र महादेव राम जाति जांगिड अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां राधेश्याम पुत्र माधु जाति जांगिड़ ब्राह्मण, नन्दलाल पुत्र माधु जाति जांगिड़ ब्राह्मण/ राधेश्याम पुत्र माधु जाति खाती, नन्दलाल पुत्र महादेव जाति जांगिड़ के स्थान पर सही प्रविष्टियां क्रमशः राधेश्याम पुत्र महादेव राम जाति जांगिड़, नन्दलाल पुत्र महादेव राम जाति जांगिड़ दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1183 दिनांक 03.07.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम टाटनवा पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 112 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां राधेश्याम पुत्र माधु जाति जांगिड़ ब्राह्मण, नन्दलाल पुत्र माधु जाति जांगिड़ ब्राह्मण के स्थान पर क्रमशः राधेश्याम पुत्र महादेव राम जाति जांगिड़, नन्दलाल पुत्र महादेव राम जाति जांगिड़ दुरूस्त किये जोन के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम टाटनवा पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 113 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां राधेश्याम पुत्र माधु जाति खाती, नन्दलाल पुत्र महादेव जाति जांगिड़ के स्थान पर क्रमशः राधेश्याम पुत्र महादेव राम जाति जांगिड़, नन्दलाल पुत्र महादेव राम जाति जांगिड़ दुरूस्त किये जोन के आदेश दिये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

राधेश्याम आदि .... बनाम .... तहसीलदार, धोद

मु.नं. 376 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा .... धारा 136 भू.रा.अ.

दिनांक	आज्ञा – पत्र
	जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1183 दिनांक 03.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

(मोहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.))

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

"पण्डित दीनदयाल ...
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025"

खाता दुरूस्ती आवेदन-पत्र

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136)

क्रमांक/भू.अ./~~2024~~ 2025/1183 दिनांकः 3.7.25

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
धोद, जिला सीकर।

विषयः- राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम 212नग्वा पटवार मण्डल मुंडवाड़ा तहसील- सीकर ग्रामीण, जिला- सीकर की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के पठन/अवलोकन/प्रार्थीपक्ष के आवेदन के समय निम्नानुसार अशुद्धियां चिन्हित की गई है। जिनकी दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें।

(प्रार्थी का आवेदन व आवश्यक दस्तावेजात संलग्न है)

क्र. स.	नाम ग्राम	खाता संख्या	अशुद्ध प्रविष्ठि का विवरण	शुद्ध प्रविष्ठि का विवरण
01	212नग्वा	113	राधेश्याम पुत्र माधु खाती.	राधेश्याम पुत्र महादेव ~~खाती~~ राम जांगिड ~~ब्राह्मण~~
02	212नग्वा	112	राधेश्याम नंदलाल पुत्र माधु जांगिड ब्राह्मण	राधेश्याम नंदलाल पुत्र महादेव ~~जांगिड ब्राह्मण~~ जांगिड.
03				
04				
05				

प्रकरण श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। अतः दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे।

02/07/25 | 02-07-2025

हस्ताक्षर पटवारी | भू.अ.निरीक्षक | तहसीलदार
प.म. 212नग्वा मुंडवाड़ा | भू.अ.नि.वृत्त धोद | तहसील- सीकर ग्रामीण

तहसीलदार (भू.अ.)
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला सीकर

क्रमांकः रीडर/2024/ दिनांकः

आदेश

आवेदन मय दस्तावेजान अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसमें पटवारी भू.अ. नि. तहसीलदार की रिपॉर्ट व सलंग्न दस्तावेजान आदि का अवलोकन किया गया एवं कॉलम 4 के स्थान पर कॉलम 5 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश ... है। पूर्व की प्रविष्ठि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो ... एवं अदायगी के लिए संबंधित प्रार्थीपक्ष/खातेदार स्वयं जिम्मेदार होगें। संबंधित तहसीलदार आदेश ... राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर पालना रिपॉर्ट से अवगत करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:23 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

R-495
9/7/25

उपखण्ड अधिकारी
धोद, जिला सीकर

Scanned with OKEN Scanner